



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 1930

2016/बिलासपुर/दिनांक - 28/10/16

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.-1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for proposed 132/33 KV S/s Sub Station, area- 1.800 ha. Regarding. पंजीयन क्र. FP/CG/TRANS/11237/2015**

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./विद्युत/2363, दिनांक 16.09.2016

—00—

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता (सिविल) राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़, द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल में राजस्व वन रकबा 1.800 हे. की मांग 132/33 के.व्ही. सब स्टेशन हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 24,000/- रुपये जमा कराये गये हैं।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व निरंक है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मुख्य वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :-
 - (iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (132/33 के.व्ही. सब स्टेशन) हेतु मांग की जा रही वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
 - (iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में दुगने राजस्व वनभूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

7. वैकल्पिक वृक्षारोपण चयनित दुग्ने राजस्व वनभूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस दुग्ने राजस्व वनभूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रुपये 5,45,656/- प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।
 8. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
 9. आवेदित भूमि का NPV गणना पत्रक संलग्न है।
 10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।
 11. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
 12. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है।
 13. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार कुल 1.800 हे. वन भूमि की साईट क्वालिटी निरंक एवं घनत्व निरंक है। जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।
 14. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।
- अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्र. /मा.चि/ 1931

बिलासपुर, दिनांक...28.10.16

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़वनमण्डल (छ.ग.)।
2. कार्यपालन अभियंता (सिविल) राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़ छ.ग.।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

-
14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

रायगढ़ वनमण्डल में राजस्व वन रकबा 1.800 हे. की मांग 132/33 के व्ही. सब स्टेशन के लिए की गई है, जिसका स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।
हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित।


मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर
